उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग–2

संख्या–1534 / 49–2–2014–152(4) / 2014

लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से जनहित में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम–3 में अंकित तैनाती स्थान से स्थानांतरित करते हुए कालम–4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1.	श्री रविकान्त सिंह	मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ।	कार्यकारी निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ।
2.	श्री विजय शंकर तिवारी	कार्यकारी निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ।	विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ।
3.	श्री संतोष कुमार,	अपर सचिव, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।	कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता (मु0), लखनऊ।
4.	श्री शंभूनाथ तिवारी,	प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, लखनऊ।	सदस्य, सहकारी न्यायाधिकरण, लखनऊ।

2. राज्यपाल महोदय यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि उपर्युक्त अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अपने वर्तमान कार्यभार से मुक्त होकर नवतैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें और कार्यभार हस्तान्तरण एवं ग्रहण सम्बन्धी प्रभार प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायें।

3. कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का अवकाश अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव।

क्रमशः / 2

संख्या—1534(1)/49—2—2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (प्रशासन), सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।।
4. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, संबंधित शीर्ष सहकारी संस्थायें।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/ उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
9. सूचना अधिकारी, मा0 सहकारिता मंत्री, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।